LAND SCHEDULE OF PROPOSED FOREST LAND FOR DIVERSION/ REGULARIZATION

Name of mouza	Plot no (As per CS Khatiyan)	Notified forest land (in Ha)	GM JJ Land (in Ha)	Raiyati JJ Land (in Ha)	Total
Barmassia Mouza	340	6.80	33.59	00	40.39
	339	00	0.75	00	0.75
	357	11.29	00	4.86	16.15
	356	1.22	3.16	00	4.38
	245	0.32	0.79	00	1.11
	4	10.12	3.70	00	13.82
	275	00	1.59	00	1.59
	337	00	00	1.25	1.25
	374	00	00	0.27	0.27
	257	00	1.63	00	1.63
	258	00	0.87	00	0.87
	324	00	0.98	00	0.98
	341	00	00	25.37	25.37
	373	00	00	0.59	0.59
	372	00	00	0.28	0.28
	380	00	00	0.57	0.57
Total		**29.75**	**47.06**	**33.19**	**110**
Barora Mouza	10	5.79	00	00	5.79
	168	2.16	0.66	00	2.82
	942	6.46	3.77	00	10.23
	946	1.86	00	0.88	2.74
	169	0.15	00	00	0.15
	994	00	0.47	00	0.47
	974	00	00	0.32	0.32
	144	00	00	1.17	1.17
Total		**16.42**	**4.90**	**2.37**	**23.69**

BREAKUP OF FOREST LAND

Sl. No.	Type of forest land	Total Forest Land (in Ha)	Already diverted forest land(in Ha)	Remaining / Balance Forest Land (in Ha)
1.	Notified forest land	53.77	7.60	46.17
2.	GM JJ Land	51.96	00	51.96
3.	Raiyati JJ Land	35.56	00	35.56
	Grand Total	**141.29**	**7.60**	**133.69**

BREAKUP OF ALREADY DIVERTED FOREST LAND

Sl. No.	Notified forest land (in Ha)	GM JJ Land(in Ha)	Raiyati JJ Land(in Ha)	Grand Total(in Ha)	Remark
2.	7.60	00	00	7.60	A total 7.60 Ha forest land out of 37.36 Ha forest land in Barmassia Mouza got FC clearance vide letter no . 10-76/FCE dt 09.06.1997

BREAKUP OF REMAINING (BALANCE) FOREST LAND

Sl. No.	Notified forest land (in Ha)	GM JJ Land (in Ha)	Raiyati JJ Land(in Ha)	Grand Total (in Ha)	Remark
2.	46.17	51.96	35.56	133.69	

ASHOK KUMAR
Project Officer
Muraidih Colliery

Project Officer
Muraidih Colliery

Component wise Breakup of Leasehold Area of Muraidih Colliery				
Sl no	Type	Forest Land (Ha.)	Non Forest Land (Ha.)	Total(Ha)
1	Quarry area(Backfilled)	45.31	57.81	103.12
2	Quarry area(Not Backfilled)	8.09	103.29	111.38
3	External OB Dump-	0	0	0
4	Plantation	49.63	86.02	135.65
5	Service Building/Mine Infrastructure	0	13.32	13.32
6	Coal Dump	1.34	5.32	6.66
7	Homestead Land	5.79	104.9	110.69
8	Agricultural Land	10.86	84.64	95.5
9	Water Body	3.51	14.53	18.04
10	Barren Land	3.75	95.87	99.62
11	Fire area	5.26	6.6	11.86
12	Rail and Road	0.15	11.72	11.87
	Total	133.69	584.02	717.71

09.03.2020
Project Officer
Muraidih Colliery

9/3/2020
Manager
Muraidih Colliery

09/03/2020
Surveyor
Muraidih Colliery

ASHOK KUMAR
Project Officer
Muraidih Colliery

पत्रांक–9/वनभूमि –16/2010 2659 व०प०

झारखण्ड सरकार

वन एवं पर्यावरण विभाग

प्रेषक,

डा० ए०के० सिंह,
मुख्य सचिव, झारखण्ड।

सेवा में,

सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति,
वन अधिकार अधिनियम, 2006

रांची, दिनांक 28-07-2010

विषय:– वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत वनभूमि अपयोजन के मामलों में **अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में।**

महाशय/महाशया,

आप अवगत है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं में पड़ने वाले वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग के लिए वनभूमि का अपयोजन भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अनुमति से किया जाता है। अपने परियोजनाओं के लिए वनभूमि के उपयोग के इच्छुक प्रयोक्ता अभिकरणों द्वारा वर्तमान में वन संरक्षण नियमावली, 2003 के विहित प्रपत्र में सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, रांची–सह–नाभिक पदाधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम के कार्यालय में समर्पित किया जाता है, जिसपर नियमानुसार भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने **की प्रक्रिया अपनाई जाती है।**

इस बीच अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों को वनभूमि में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकारों को Settle करने के उद्देश्य से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 लागू किया गया है। यह अधिनियम दिनांक 01.01.2008 से प्रभावी है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत वनभूमि अपयोजन के मामलों में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, के पत्रांक– एफ० सं०–11–9/1998–FC(P.T.) दिनांक 03.08.2009 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार वनभूमि अपयोजन के प्रस्तावों के साथ अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में कतिपय प्रमाण–पत्र संबंधित अभिलेखों के साथ समर्पित किया जाना आवश्यक है, ताकि प्रस्तावों को बिना किसी शर्त के पूर्ण [illegible] जा सके।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जब किसी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव [illegible] संबंधित उपायुक्त द्वारा तो अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा–6(5) के अंतर्गत [illegible] [illegible] वांछित प्रपत्रों के साथ एक [illegible] [illegible] निम्नांकित [illegible]

ASHOK KUMAR
Project Officer
Muraidih Colliery

उपायुक्त, ... (जिला का नाम)

74

संख्या— .... दिनांक........................

प्रमाण–पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि .... परियोजना (परियोजना का नाम) के लिए प्रस्तावित .... वनभूमि (वनभूमि का क्षेत्रफल) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत Settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा को व्याख्यापित कर दी गई है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिए गए निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4. प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा–3 (1) (e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।

5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिए जानेवाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा–3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इसपर सहमति व्यक्त की गई है।

उपायुक्त, ... (जिला का नाम)
~~सह–अध्यक्ष~~,
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति,
वन अधिकार अधिनियम, 2006

ASHOK KUMAR
Project Officer
Muraidih Colliery